मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरूवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 (फाल्गुन 29, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. विशेष उल्लेख.

1. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में उल्लेख किया गया कि आज वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि है. हम सभी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जानते हैं. वह कालखण्ड था जब उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए संघर्ष किया. आज पूरा सदन उनको स्मरण करते हुए अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है.

2. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में यह भी उल्लेख किया गया कि भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में 9 महीने बिताने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आये हैं. सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रूकने वाली पहली महिला बन गई हैं, यह हम सब के लिये गौरव का क्षण है. मैं पूरे सदन की ओर से इस उपलब्धि के लिये उन्हें बधाई देता हूँ.

2. बधाई एवं शुभकामनाएं.

आसंदी द्वारा श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य विधानसभा को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

3. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13 एवं 14) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 156 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 181 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. अध्यक्षीय व्यवस्था.

1. सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों की सटीकता विषयक

प्रश्नकाल के दौरान तारांकित प्रश्न संख्या 2 विस्तृत स्वरूप का होने के फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि, ''मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि प्रश्न हमें हमेशा देखभाल कर लगाना चाहिए, प्रश्न बहुत लंबे होते हैं, जवाब भी बहुत लंबे होते हैं, कई बार तो मटेरियल किलो में आता है. विधान सभा में समय कम लगे और जो हम पूछना चाहते है या हम जो प्रश्न के माध्यम से सुधार चाहते हैं वह टू दी पाईंट हो जाये, तो ठीक है. सचिवालय भी इसका ध्यान रखे और सदस्यगण भी इसका ध्यान रखें कि प्रश्नों का स्वरूप जितना छोटा होगा जवाब उतने अच्छे आ सकेंगे.''

2. तारांकित प्रश्न संख्या 11 में परिवर्तन कर दिये जाने विषयक

प्रश्नकाल के दौरान तारांकित प्रश्न संख्या 11 के प्रश्नकर्ता श्री मधु भगत, सदस्य द्वारा आसंदी का ध्यान आकर्षित किया गया कि मेरा पूरा का पूरा प्रश्न बदल दिया गया है. मैने प्रश्न उठाया था कि केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश को वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक कितनी सड़कों के उन्नयन की मंजूरी दी थी, पर जो जवाब आया है वो बहुत ही हास्यासपद आया है. मैं मध्यप्रदेश की जानकारी मांग रहा हूं परन्तु वे मुझे केवल मेरी विधान सभा परसवाड़ा की जानकारी दे रहे हैं.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा कहा गया कि मेरे पास विधान सभा से जो प्रश्न आया है हमने उसका ही उत्तर दिया है. इस पर श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य ने कहा कि प्रश्न में विधान सभा सचिवालय से संशोधन कर दिया गया है, सदस्य द्वारा प्रदेश की जानकारी मांगी गई है और वे केवल उनके क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं, गड़बड़ी कहीं यहां से ही हुई है. सदस्य के पास उनका सही प्रश्न है. श्री मधु भगत, सदस्य द्वारा इस पर जांच की मांग की गई.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - ''इसमें सामान्य तौर पर बिटुमेन वाली बात कही गई है पीछे भी

एक ऐसा प्रश्न हुआ है उसमें भी बात आयी है और मंत्री जी ने निश्चित रूप से जवाब दिया ही है. सामान्य तौर पर आपको अगर किसी प्रकार का भ्रम है, विस्तृत होने से संशोधन हुआ है, विधान सभा सचिवालय आपसे मिलकर इसका समाधान करा देंगे.''

5. अध्यक्षीय घोषणा.

मानसरोवर सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम फाग उत्सव का आयोजन एवं रात्रि भोज

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''जैसा कि आप सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रण भेजा गया है कि आज सायंकाल 7 बजे से मानसरोवर सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम फाग उत्सव का आयोजन किया गया है. सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु यथासमय मानसरोवर सभागार में पधारने के पश्चात् आयोजित रात्रि भोज ग्रहण करने का कष्ट करें. कार्यक्रम में निजी अमले और पी.एस.ओ. का प्रवेश निषिद्ध रहेगा. आप समय पर पहुचें, ऐसा मेरा अनुरोध है."

6. नियम 267-क के अधीन विषय.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य ने धार जिले में फर्जी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के मान्यता आवेदन पत्र की जांच कर मान्यता निरस्त की जाना ।

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य ने बुरहानपुर स्थित टैगोर सांस्कृतिक काम्पलेक्स का कार्य अपूर्ण होना ।

(3) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य ने जिला भिण्ड के अटेर में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसानों की भूमि औने-पौने दाम पर क्रय कर अनियमितता कर पद का दुरूपयोग किया जाना ।

(4) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य ने रतलाम जिले के काबुलखेड़ी-सुखेड़ा मार्ग का निर्माण कार्य प्रांरभ किया जाना ।

(5) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य ने जिला शिवपुरी एवं दतिया सिंध परियोजना नहर का चौड़ीकरण कराया जाना ।

(6) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक, सदस्य ने दमोह जिले की विधान सभा क्षेत्र हटा के सुनार एवं ब्यारमा नदी के किनारे बसे ग्रामों में नदी के बढ़ते कटाव को रोका जाना ।

(7) श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य ने सीधी जिले की जनपद पंचायत कुसमी के अतंर्गत ग्राम पंचायत कुंदौर में मवई एवं कोड़मार नदी पर क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण कराया जाना ।

(8) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य ने जबलपुर शहर के नालों एवं नालियों में गंदगी की भरमार ।

(9) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य ने सिवनी जिले की तहसील बरघाट में कई वर्षों से आरक्षित वन भूमि के बदले दूसरी भूमि आवंटित नहीं किया जाना ।

(10) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य ने अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा छात्र/ छात्राओं को किसी विशेष प्रकाशक एवं दुकान से पुस्तकें क्रय करने हेतु बाध्य किया जाना ।

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (क्रमांक 28 सन् 2016) की धारा 34 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 पटल पर रखे गए.

8. ध्यानाकर्षण.

(1) **सर्वश्री उमंग सिंघार (सर्वश्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, प्रताप ग्रेवाल) सदस्यगण** ने प्रदेश की परिवहन नाकों/चेक पोस्टों में अवैध वसूली होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री, श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री उदय प्रताप सिंह , परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

9. गर्भगृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन.

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण ने ध्यानाकर्षण क्रमांक 1 पर चर्चा हेतु समुचित अवसर प्रदान न किये जाने एवं सीबीआई जांच न कराये जाने के विरोध में नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया. सोने के बिस्किट प्रतीकात्मक स्वरूप दिखाए तथा कुछ समय उपरांत श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा प्रदेश के परिवहन नाकों/चैक पोस्टों में अवैध वसूली संबंधी ध्यानाकर्षण पर माननीय सदस्यों को चर्चा का पर्याप्त अवसर न दिये जाने और सी.बी.आई. जांच की मांग न पूरी किये जाने के विरोध में नारेबाजी करते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया.

10. अध्यक्षीय घोषणा.

भोजनावकाश न होना

ध्यानाकर्षण के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''आज भी भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में है, सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण कर सकते है.''

11. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य** ने पन्ना जिले के पहाड़ीखेरा क्षेत्र को भी केन-बेतवा लिंक परियोजना में शामिल किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री गोपाल भार्गव सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री भंवर सिंह शेखावत, सभापति** ने लोक लेखा समिति का बीस से पैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
(2) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सभापति** ने कृषि विकास समिति का चतुर्थ कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
(3) **श्री हरिशंकर खटीक, सभापति** ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

13. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती) (जिला**-छतरपुर)
(2) **श्री बृजबिहारी पटैरिया (जिला**-सागर)
(3) **श्री सुरेश राजे (जिला**-पन्ना)
(4) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला**-धार)
(5) **श्री केदार चिड़ाभाई डाबर (जिला**-खरगोन)
(6) **श्री राजेन्द्र भारती (जिला**-दतिया)
(7) **डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान (जिला**-उज्जैन)
(8) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला**-मुरैना)
(9) **श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला**-भोपाल)
(10) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला**-निवाड़ी)
(11) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला**-दतिया)
(12) **श्री प्रदीप पटेल (जिला**-मऊगंज)
(13) **श्री कैलाश कुशवाह (जिला**-शिवपुरी)
(14) **श्री विश्वनाथ सिंह 'मुलाम भैया' (जिला**-नरसिंहपुर)
(15) **श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला**-छिन्दवाड़ा)
(16) **श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला**-मैहर)
(17) **श्री प्रहलाद लोधी (जिला**-पन्ना)
(18) **श्री विक्रम सिंह (विक्की) (जिला**-सतना)
(19) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला**-धार)
(20) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला**-अनूपपुर)
(21) **श्री ऋषि अग्रवाल (जिला**-गुना)
(22) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला**-सागर)
(23) **श्री भैरो सिंह बापू (जिला**-आगर-मालवा)
(24) **श्री मधु भगत (जिला**-बालाघाट)
(25) **श्री विपीन जैन (जिला**-मंदसौर)
(26) **श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला**-रतलाम)
(27) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला**-सीहोर)
(28) **श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला**-अलीराजपुर)
(29) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला**-कटनी)
(30) **श्री महेन्द्र रामसिंह यादव (खतौरा) (जिला**-शिवपुरी)

(31) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(32) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(33) डॉ. विक्रांत भूरिया (जिला-मण्डला)
(34) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव (जिला-खरगोन)
(35) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(36) श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-बालाघाट)
(37) श्री दिनेश जैन (बोस) (जिला-उज्जैन)
(38) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(39) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(40) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(41) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(42) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(43) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(44) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-जबलपुर)
(45) श्री अभिजीत शाह (अंकित बाबा) (जिला-हरदा)
(46) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)
(47) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
(48) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(49) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(50) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(51) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(52) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(53) श्री केशव देसाई (जाटव) (जिला-भिण्ड)
(54) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(55) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(56) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-सतना)
(57) श्री अनिल जैन (निवाड़ी) (जिला-निवाड़ी)
(58) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(59) श्री मुरली भंवरा (जिला-देवास)
(60) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)

14. प्रदेश के विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा.

प्रदेश के 12 विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए राज्य विधान सभा के 8-8 सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में घोषित किए गए कार्यक्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् 8-8 उम्मीदवार शेष हैं, चूंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए केवल 8-8 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं.

अतः मैं निम्नांकित विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूँ :-

(1) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर श्री रमेश मेंदोला
(1) श्री रमेश मैंदोला (2) श्री राकेश शुक्ला (गोलू) (3) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ (4) श्री महेंद्र हार्डिया (5) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल (6) श्री कालु सिंह ठाकुर (7) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव (8) श्री भंवर सिंह शेखावत

(2) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(1) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय (2) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (3) श्री ओमप्रकाश धुर्वे (4) श्री महेन्द्र नागेश (5) श्री अजय विश्नोई (6) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी (7) श्री लखन घनघोरिया (8) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(3) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
(1) डॉ. प्रभुराम चौधरी (2) श्रीमती गंगा सज्जनसिंह उइके (3) श्री हजारीलाल दांगी (4) श्री रामेश्वर शर्मा (5) श्री भगवानदास सबनानी (6) श्री विष्णु खत्री (7) श्री आरिफ मसूद (8) श्री आतिफ आरिफ अकील
(4) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
(1) श्री मोहन सिंह राठौर (2) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह (3) श्रीमती सरला विजेन्द्र रावत (4) श्री अम्बरीश शर्मा (गुड्डू) (5) श्री महेन्द्र रामसिंह यादव खतौरा (6) श्री प्रदीप अग्रवाल (7) श्री सुरेश राजे (8) श्री दिनेश गुर्जर
(5) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
(1) श्री राजेश सोनकर (2) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान (3) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा (4) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (5) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (6) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (7) श्री दिनेश जैन (बोस) (8) श्री महेश परमार
(6) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
(1) श्री विक्रम सिंह (विक्की) (2) विक्रम सिंह (विक्की) (3) श्री दिव्यराज सिंह (4) श्री नरेन्द्र प्रजापति

(5) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (6) श्री कुंवर सिंह टेकाम (7) श्रीमती रीति पाठक (8) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (9) श्री अभय मिश्रा
(7) महाराज छत्रसाल बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर
(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (2) श्री अरविंद पटैरिया (3) श्रीमती ललिता यादव (4) श्री हरिशंकर खटीक (5) श्री प्रहलाद लोधी (6) श्री अनिल जैन (निवाडी) (7) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (8) श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार
(8) राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा
(1) श्री कमलेश प्रताप शाह (2) श्री राजकुमार कर्राहे (3) श्री गौरव पारधी (4) श्री कमल मर्सकोले (5) श्री हेमन्त खण्डेलवाल (6) श्री दिनेश राय ''मुनमुन'' (7) चौधरी सुजीत मेर सिंह (8) श्री सुनील उईके
(9) पं. शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल
(1) सुश्री मीना सिंह माण्डवे (2) श्री शिवनारायण सिंह (3) श्री बिसाहूलाल सिंह (4) श्री जयसिंह मरावी (5) श्रीमती मनीषा सिंह (6) श्री शरद जुगलाल कोल (7) श्री चैन सिंह बरकड़े (8) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(10) रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर
(1) श्री गोपाल भार्गव (2) श्री भूपेन्द्र सिंह (3) इंजी. प्रदीप लारिया (4) श्री शैलेन्द्र जैन (5) श्री जयंत मलैया (6) श्रीमती उमादेवी लालचन्द खटीक (7) श्रीमती चंदा सुरेन्द्रसिंह गौर (8) श्री यादवेन्द्र सिंह

(11) क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन
(1) श्री सचिन बिरला (2) श्री राजकुमार मेव (3) श्री बालकृष्ण पाटीदार (4) श्री श्याम बरडे (5) श्रीमती अर्चना चिटनीस (6) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे (7) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (8) श्री केदार चिड़ाभाई डाबर
(12) क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना
(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक (2) श्री पन्नालाल शाक्य (3) श्रीमती प्रियंका पैंची (4) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी (5) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (6) श्री देवेन्द्र कुमार जैन (7) श्री जयवर्द्धन सिंह (8) श्री ऋषि अग्रवाल

15. वर्ष 2025-26 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उपमुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(1)	अनुदान संख्या – 19	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए बाईस हजार दो सौ तैंतीस करोड़, सतहत्तर लाख, सत्रह हजार रुपये ।

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

(1) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्रीमती अनुभा मुंजारे
(3) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(4) श्री साहब सिंह गुर्जर
(5) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(6) डॉ. योगेश पंडाग्रे
(7) श्री सुनील उईके
(8) श्री राजेन्द्र मेश्राम
(9) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(10) श्री कमल मर्सकोले
(11) श्री दिलीप सिंह परिहार
(12) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(13) श्री प्रदीप अग्रवाल
(14) डॉ राजेन्द्र कुमार सिंह

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उपमुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(2)	अनुदान संख्या - 12	ऊर्जा के लिए अठारह हजार पांच सौ पच्चीस करोड़, बयासी लाख, अठासी हजार रुपये ।

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

(1) श्री हरिशंकर खटीक

सभापति महोदया (श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी) पीठासीन हुए.

(2) श्री मधु भगत
(3) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी
(4) श्री केदार चिड़ाभाई डाबर
(5) श्री गौरव सिंह पारधी
(6) श्री सुरेश राजे
(7) श्री अनिरूद्ध माधव मारू
(8) श्री फूलसिंह बरैया
(9) श्री कमल मर्सकोले
(10) श्रीमती सेना महेश पटेल
(11) श्री महेन्द्र नागेश
(12) श्री महेश परमार

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(13) डॉ. योगेश पंडाग्रे
(14) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह
(15) श्री उमंग सिंघार
(16) श्री रामनिवास शाह
(17) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(18) श्री बाला बच्चन

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

16. अध्यक्षीय व्यवस्था.

अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि, ''संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए है. मुझे लगता है कि सामान्य तौर पर उर्जा पर चर्चा हो रही है और चर्चा काफी लंबी भी हुई है. पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इसमें भाग लिया है तो इस पूरी चर्चा को एक बार मंत्रालय निकलवा ले और जो जमीनी कठिनाइयां है, उन पर जो काम किया जा सकता है, उनका तत्काल निराकरण हो जाये तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा.''

17. वर्ष 2025-26 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्रीमती संपतिया उइके, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(3) अनुदान संख्या – 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए बीस हजार करोड़, उन्यासी लाख, सत्तावन हजार रूपये

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

(1) श्री बाबू जन्डेल
(2) श्री अनिरूद्व माधव मारू

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

(3) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(4) श्री नारायण सिंह पट्टा
(5) श्री गौरव सिंह पारधी
(6) श्री राजन मण्डलोई
(7) श्री दिनेश जैन बोस
(8) श्री नीरज सिंह ठाकुर
(9) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(10) श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया
(11) श्री भैरो सिंह बापू
(12) श्री हरदीप सिंह डंग

श्रीमती संपतिया उइके, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

18. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति.

इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति ने दिनांक 20 मार्च, 2025 को सदन में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तावक सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक - 2	श्री आशीष गोविन्द शर्मा	30 मिनट
2.	क्रमांक - 14	श्री भैरोसिंह बापू	30 मिनट
3.	क्रमांक- 17	श्री सोहनलाल बाल्मीक	30 मिनट

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तावक सदस्य	निर्धारित समय
4.	क्रमांक - 28	श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार	30 मिनट

इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 06:58 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 (फाल्गुन 30, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 20 मार्च, 2025